उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–1009/ix-1/323/2012
देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 वर्ष 2003) की धारा 28 के अधीन राज्यपाल उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (तृतीय संशोधन), नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 2 मे :–

(क) खण्ड (ख) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) एवं (ङ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;	(घ) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, कैंट बोर्ड, नगर क्षेत्र समिति और अधिसूचित क्षेत्र समिति से है;
(ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;	(ङ) 'भुगतान प्रमाण पत्र' का तात्पर्य धारा–4 के अधीन कराधान अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले कर भुगतान विवरण के किसी प्रमाण पत्र से है; (च) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

नियम 3 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	3. कराधान अधिकारी – उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अधीन निर्दिष्ट एवं उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या यात्रीकर अधिकारी यथा स्थिति, अपने–अपने सम्भाग या उप सम्भाग की स्थानीय सीमाओं के भीतर कराधान अधिकारी होंगे।	**3. कराधान अधिकारी** – उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट एवं उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, या परिवहन कर अधिकारी–1 अपने–अपने उप सम्भाग या परिवहन चैक पोस्ट की स्थानीय सीमाओं के भीतर कराधान अधिकारी होंगे।

नियम 4 एवं 5 का निकाला जाना

4. उक्त नियमावली में नियम 4 एवं 5 को निकाल दिया जायेगा।

नियम 6 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	6. प्रपत्रों की पूर्ति– इस नियमावली द्वारा विहित प्रपत्रों की प्रतियॉ किसी कराधान अधिकारी को आवेदन–पत्र देकर एवं निर्धारित धनराशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग की बेबसाइट पर उपलब्धता की दशा में फार्म को आवेदनकर्ता डाउनलोड कर स्वयं प्राप्त कर सकता है या निर्धारित प्रारूप को टंकित करवा सकता है।	**6. प्रपत्रों की पूर्ति**– इस नियमावली द्वारा विहित प्रपत्रों की प्रतियॉ किसी कराधान अधिकारी को प्रत्येक प्रति दस रूपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग की बेबसाइट पर उपलब्धता की दशा में फार्म को आवेदनकर्ता डाउनलोड कर स्वयं प्राप्त कर सकता है या निर्धारित प्रारूप को टंकित करवा सकता है।

नियम 8 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	8. अतिरिक्त घोषणा– (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा–14 के अधीन बढे	**8. अतिरिक्त घोषणा**– (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा–14 के अधीन बढे हुये कर के भुगतान

हुये कर या अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी हो जाता है, इस प्रकार दायी होने के 15 दिन के भीतर प्रपत्र "ख" में एक अतिरिक्त घोषणा पूर्ण करेगा, हस्ताक्षर करेगा और कराधान अधिकारी को देगा।

(2) प्रत्येक अतिरिक्त घोषणा के साथ मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किया गया मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

का दायी हो जाता है, इस प्रकार दायी होने के 15 दिन के भीतर प्रपत्र "ख" में एक अतिरिक्त घोषणा पूर्ण करेगा, हस्ताक्षर करेगा और कराधान अधिकारी को देगा।

(2) प्रत्येक अतिरिक्त घोषणा के साथ मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किया गया मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

नियम 9 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9. कर के भुगतान की रीति– (1) कर या अतिरिक्त कर का भुगतान या तो कराधान अधिकारी को नकद किया जायेगा या सम्बन्धित जिले के किसी कोषागार में ट्रेजरी चालान के माध्यम से 0041–वाहन कर–102 राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां–01 सकल प्राप्तियां शीर्षक के अधीन मोटर यान स्वामी या संचालक द्वारा जमा किया जायेगा और ऐसे भुगतान को प्रकट करने वाले यथास्थिति रसीद या ट्रेजरी चालान कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर या अतिरिक्त कर या अन्य शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में ई–पेमेन्ट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा केडिट कार्ड के माध्यम से आनलाईन भी किया जा सकता हैं। (2) ऑन लाईन कर या अतिरिक्त कर या अन्य शुल्क के भुगतान हेतु	**9. कर के भुगतान की रीति**–(1) कर का भुगतान या तो कराधान अधिकारी को नकद किया जायेगा या सम्बन्धित जिले के किसी कोषागार में ट्रेजरी चालान के माध्यम से 0041–वाहन कर–102 राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां–01 सकल प्राप्तियां शीर्षक के अधीन मोटर यान स्वामी या संचालक द्वारा जमा किया जायेगा और ऐसे भुगतान को प्रकट करने वाले यथास्थिति रसीद या ट्रेजरी चालान कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर या अन्य शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में ई–पेमेन्ट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा केडिट कार्ड के माध्यम से आनलाईन भी किया जा सकता हैं। (2) ऑन लाईन कर या अन्य शुल्क के भुगतान हेतु प्रकिया का निर्धारण निदेशक कोषागार, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित अधिकृत बैंक से विचार विमर्श के उपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। (3) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से कोई ऐसी तिथि निर्धारित कर सकती है।

	प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक कोषागार, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित अधिकृत बैंक से विचार विमर्श के उपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। (3) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से कोई ऐसी तिथि निर्धारित कर सकती है। जिसके पश्चात राज्य में पंजीकृत अथवा राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से कर या अतिरिक्त या अन्य शुल्क का भुगतान केवल ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति जिससे अधिनियम 7 के अधीन घोषणा या नियम 8 के अधीन अतिरिक्त घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है मोटरयान पर देय कर अथवा अतिरिक्त कर का उसके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तुत करते समय भुगतान करेगा।	जिसके पश्चात राज्य में पंजीकृत अथवा राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से कर या अन्य शुल्क का भुगतान केवल ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अधिनियम 7 के अधीन घोषणा या नियम 8 के अधीन अतिरिक्त घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी घोषणा प्रस्तुत करते समय मोटरयान पर देय कर का भुगतान करेगा और उसके पश्चात् समय–समय पर निर्धारित आवर्ती के अनुसार भुगतान करेगा।

नियम 9-क का संशोधन

8. उक्त नियमावली में नियम 9क में–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क), (ख) व (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9क(क) धारा 22(3) के अधीन यान को अभिग्रहीत और निरूद्ध करने वाला ऐसा अधिकारी जो इस नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत प्राधिकृत है, परिवहन आयुक्त के पास नीलामी के लिये निर्देश हेतु अध्यपेक्षा भेजेगा जिसमें यान का पूर्ण विवरण और नीलामी का दिनांक, समय और स्थान भी होगा। तत्पश्चात परिवहन आयुक्त खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति के अध्यक्ष को खण्ड (ग) से (ङ) में विहित रीति से नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये निर्देश देगा। (ख) यान की नीलामी एक समिति	9क(क) यान को अभिग्रहीत और निरूद्ध करने वाला अधिकारी जो इस नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत प्राधिकृत है, परिवहन आयुक्त के पास नीलामी के लिये निर्देश हेतु अध्यपेक्षा भेजेगा, जिसमें यान का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित यान के सभी आयामों से लिये गये फोटोग्राफ अथवा वीडियोग्राफी की प्रति यान के प्रति देय धनराशि एवं यान का न्यूनतम अवधारित मूल्य सहित यान के अभिग्रहण की तिथि और स्थान का भी उल्लेख होगा। अध्यपेक्षा भेजने से पूर्व यान के स्वामी को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस प्रारूप–'ग' में भेजी जायेगी, जिसकी एक प्रति वित्त पोषक, यदि कोई हो, को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी। तत्पश्चात

	द्वारा की जायेगी, जिसके निम्नलिखित होंगे–	परिवहन आयुक्त खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति के अध्यक्ष को खण्ड (ग) से (ङ) में विहित रीति से नीलामी की कार्यवाहियॉ प्रारम्भ और पूर्ण करने के लिये निर्देश देगा।
	(एक) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी.....अध्यक्ष	(ख) यान की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–
	(दो) सम्बन्धित सम्भाग को सम्भागीय परिवहन अधिकारी.....सदस्य	(एक) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी. ..... अध्यक्ष
	(तीन) यान को अभिग्रहीत या निरूद्ध करने वाला अधिकारी.....सदस्य	(दो) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी .....सदस्य
	(ग) नीलामी के लिये कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा नीलामी का विज्ञापन या तो उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में नीलामी की सूचना को प्रकाशित करके या डोंडी पिटवा कर प्रचार द्वारा किया जायेगा। नीलामी की सूचना नीलामी स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जायेगी।	(तीन) यान को अभिग्रहीत या निरूद्ध करने वाला अधिकारी.....सदस्य (ग) नीलामी के लिये कम से कम इक्कीस दिन की सूचना दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा नीलामी का विज्ञापन सम्बन्धी क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में नीलामी की सूचना को प्रकाशित करके किया जायेगा। नीलामी की सूचना नीलामी स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जायेगी।
नियम 9 क के खण्ड (ड.) का संशोधन	**(ख)** खण्ड (ङ) में:–	

(एक) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपखण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(ङ) (एक) केवल ऐसे व्यक्ति जिन्होने परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित धनराशि अग्रिम जमा कर दी हो, नीलामी में बोली लगाने के हकदार होंगे।	(ङ) (एक) ऐसे व्यक्ति जिन्होने निम्नानुसार अग्रिम धन जमा कर दिया हो, नीलामी में बोली लगाने के हकदार होंगे– (अ) हल्के मोटरयान के लिये रू0 2,000/– (ब) मध्यम मोटरयान के लिये रू0 5,000/– (स) भारी मोटरयान के लिये रू0 10,000/–

(दो) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपखण्ड (नौ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2

विद्यमान उपखण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(ङ) (नौ) अनुमोदित क्रेता द्वारा बोली की धनराशि के अतिरिक्त अंतिम रूप से स्वीकृत मूल्य पर निर्धारित व्यापार कर जमा करने के पश्चात ही वाहन उसे हस्तगत किया जायेगा।	(ङ) (नौ) नीलाम क्रेता को बोली धन के अतिरिक्त कीमत पर मूल्य सवंर्धित कर जमा करना होगा।

(तीन) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपखण्ड (बारह) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(ङ) (बारह) किसी कर या शास्ति से समायोजित धनराशि को कोषागार में यथा स्थिति यान के स्वामी के नाम से जमा किया जायेगा और इस निमित्त कर शोधन प्रमाणपत्र सम्बन्धित कराधान अधिकारी के पास, यान को अभिग्रहीत और निरूद्ध करने वाले अधिकारी को सूचित करते हुये भेजा जायेगा।	(ङ) (बारह) किसी कर या शास्ति में समायोजित धनराशि को कोषागार में यथास्थिति, यान के स्वामी के नाम से, या उस व्यक्ति के नाम से, जिससे यान का अभिग्रहण किया गया है, जमा किया जायेगा और निक्षेप प्रमाणपत्र सम्बन्धित कराधान अधिकारी के पास भेजा जायेगा।

नियम 12 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12. टोकन का जारी किया जाना– जब किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया जा चुका हो, कराधान अधिकारी प्रपत्र ग–2 में अपने हस्ताक्षर से टोकन जारी करेगा।	**12. कर का भुगतान एवं भुगतान प्रमाण–पत्र का जारी किया जाना–** (1) कर के भुगतान तथा भुगतान प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कराधान अधिकारी के समक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र 'घ' प्रस्तुत किया जायेगा। (2) कराधान अधिकारी कर के भुगतान को अभिलिखित करते हुये वाहन स्वामी को यथास्थिति प्रारूप ''घ–1'' या प्रारूप ''घ–2'' या प्रारूप ''घ–3'' या प्रारूप ''घ–4'' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। (3) कराधान अधिकारी द्वारा जारी इन प्रमाण पत्रों को परिवहन यान में जब वह चलाया जा रहा हो, रखा जायेगा और यथा स्थिति परिवहन यान के स्वामी या ड्राइवर का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा प्रमाण पत्र मांगें जाने पर ऐसा करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

करें।

(4) नियम 9 के अधीन ई–पेमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन किए गये भुगतान की रसीद को कर भुगतान प्रमाण–पत्र समझा जायेगा।

नियम 13 एवं 14 को हटाया जाना

10. उक्त नियमावली में नियम 13 एवं 14 को हटा दिया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15. टोकन की दूसरी प्रति जारी करना–(1) यदि इस नियमावली के अधीन जारी किया गया कोई टोकन खो जाता है तो परिवहन यान का स्वामी इस तथ्य की तत्काल सूचना तथा दूसरी प्रति के लिये आवेदन उस कराधान अधिकारी को करेगा, जिसने ऐसा टोकन जारी किया हो। (2) ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होने पर कराधान अधिकारी आवेदन द्वारा पॉच रूपये का शुल्क भुगतान करने पर टोकन की एक दूसरी प्रति जारी करेगा और ऐसे टोकन की दूसरी प्रति पर लाल स्याही से शब्द ''दूसरी प्रति'' चिन्हित करेगा।	**15. प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किया जाना**– (1) यदि नियम 12 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है या अपठनीय हो जाता है, तो परिवहन यान का स्वामी इस तथ्य की सूचना तथा दूसरी प्रति के लिये आवेदन उस कराधान अधिकारी को करेगा जिसके द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया हो। (2) ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कराधान अधिकारी आवेदक द्वारा पचास रूपये का शुल्क भुगतान किये जाने पर एक दूसरी प्रति जारी करेगा। ऐसी दूसरी प्रति पर स्याही से शब्द 'दूसरी प्रति' चिन्हित करेगा।

नियम 16 का हटाया जाना

12. उक्त नियमावली में, नियम 16 को हटा दिया जायेगा।

नियम 17 का संशोधन

13. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
17. समय सारणी का दिया जाना–(1) प्रत्येक मंजिली गाडी का संचालक यान के कब्जा होने के सात दिन के भीतर कराधान अधिकारी को प्रपत्र 'ञ' में अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और	**17. समय सारणी का दिया जाना**–(1) प्रत्येक मंजिली गाडी का संचालक यान के कब्जा होने के सात दिन के भीतर कराधान अधिकारी को प्रपत्र 'ञ' में अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनिमयमित करने वाली एक सारणी के

प्रस्थान करने के समय को विनिमयमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में की गयी एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारोबार से सम्बन्धित ऐसे अन्य विवरण देगा जिनकी कराधान अधिकारी आदेश द्वारा समय समय पर अपेक्षा करें।

(2) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि यथास्थिति सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी या राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान और यात्रा की संख्या के सम्बन्ध में समय सारणी नियत कर दी जाय।

(3) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुनिश्चत करेगा कि किसी मंजिली गाड़ी द्वारा जिसके सम्बन्ध में किसी विद्यमान मार्ग पर अथवा नव सृजित मार्ग पर परमिट स्वीकृत किया जाता है, संचालित किये जाने वाले दैनिक फेरों की संख्या, यथा स्थिति, सम्भागीय परिवहन अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट स्वीकृत करते समय नियम कर दी जाय।

समय सारणी में परिवर्तन की प्रभावी तिथि, सम्भागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन की तिथि से मानी जाय तथा जिस तिथि को अनुमोदन किया गया हो उस माह की प्रथम तिथि से कर जमा कराया जाय। जहॉ यात्री कर अधिकारी तैनात है वहॉ समय सारणी में यात्री कर अधिकारी की आख्या अनिवार्य रूप से अंकित हो, जहॉ यात्रीकर अधिकारी तैनात नही है वहॉ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की आख्या अंकित हो।

साथ एक कैलेण्डर माह में की गयी एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारोबार से सम्बन्धित ऐसे अन्य विवरण देगा जिनकी कराधान अधिकारी आदेश द्वारा समय समय पर अपेक्षा करें।

(2) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि यथास्थिति, सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी या राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान और यात्रा की संख्या के सम्बन्ध में समय सारणी नियत कर दी जाय।

(3) प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुनिश्चत करेगा कि किसी मंजिली गाड़ी द्वारा, जिसके सम्बन्ध में किसी विद्यमान मार्ग पर अथवा नव सृजित मार्ग पर परमिट स्वीकृत किया जाता है, संचालित किये जाने वाले दैनिक फेरों की संख्या, यथा स्थिति, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करते समय नियत कर दी जाय। समय सारणी में परिवर्तन की प्रभावी तिथि सम्भागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन की तिथि से मानी जाय तथा जिस तिथि को अनुमोदन किया गया हो उस माह की प्रथम तिथि से कर जमा किया जायेगा।

(4) जहॉ परिवहन कर अधिकारी–1 तैनात है, वहॉ समय सारणी में परिवहन कर अधिकारी–1 की आख्या अनिवार्य रूप से अंकित हो, जहॉ परिवहन कर अधिकारी–1 तैनात नही है वहॉ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की आख्या अंकित हो।

(5) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन मंजिली गाड़ी की लॉग–बुक प्रपत्र 'ञ–1' में रखी जायेगी।

(6) यदि कराधान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी वाहन द्वारा किसी माह में निर्धारित समय सारणी से अधिक दूरी तय की गयी है, तो वह उस अतिरिक्त संचालन के लिए कर निर्धारण करेगा और नियमावली में विहित व्यवस्था के

अनुसार उसकी वसूली की कार्यवाही करेगा।

नियम 18 का संशोधन

14. उक्त नियमावली के नियम 18 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

(3) उत्तरांचल में अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परमिटों पर निर्धारित तिथि तक देय कर जमा न करने की स्थिति में एक बार वाहन के पंजीकृत स्वामी की पंजीयन पुस्तिका में दिये गये पते पर मांग पत्र भेजा जाय अथवा स्वामी को अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अथवा चालक को प्राप्त करा दिया जाय। यदि वाहन स्वामी मांग पत्र में दी गयी समयावधि/तिथि के अंदर देय कर जमा नही करता है तथा उक्त वाहन को अभिग्रहीत निरूद्ध करना सम्भव नही है तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जाय तथा उसमें 25 प्रतिशत शास्ति सम्मिलित की जाय।	(3) कराधान अधिकारी धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन किसी यान के सम्बन्ध में कर के बकाया और शास्ति हेतु यथा स्थिति वाहन स्वामी अथवा संचालक को प्रपत्र "ङ–1" में नोटिस भेजेगा। नोटिस की तामीली उपनियम (1) में विहित रीति से करायी जायेगी। (4) यदि वाहन स्वामी नोटिस में दी गयी समयावधि/तिथि के अंदर देय कर जमा नही करता है, तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली पत्र जारी किया जाय तथा उसमें देय धनराशि के बराबर शास्ति सम्मिलित की जाय।

नियम 19 का संशोधन

15. उक्त नियमावली में नियम 19 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19. वाहन में परिवर्तन के कारण बढाये गये कर या अतिरिक्त कर का भुगतान– (1) जहॉ किसी मोटर यान को, जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किया जा चुका है, ऐसी रीति से परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि मोटर यान ऐसा हो जाता है, जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर की उच्चतर दर देय हो जाय, तो उसका स्वामी या संचालक ऐसा परिवर्तन करने के सात दिन के भीतर उसके परिवर्तन की प्रकृति और ब्यौरा दर्शाते हुये कराधान	**19. वाहन में परिवर्तन के कारण बढाये गये कर का भुगतान–** (1) जहॉ किसी मोटर यान को, जिसके सम्बन्ध में कर का भुगतान किया जा चुका है, ऐसी रीति से परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि मोटर यान ऐसा हो जाता है, जिसके सम्बन्ध में कर की उच्चतर दर देय हो जाय, तो उसका स्वामी या संचालक ऐसा परिवर्तन करने के सात दिन के भीतर उसके परिवर्तन की प्रकृति और ब्यौरा दर्शाते हुये कराधान अधिकारी के समक्ष एक घोषणा करेगा। (2) ऐसे यान के सम्बन्ध में जिसे इस प्रकार परिवर्तित किया गया हो कि वह भुगतान किये गये कर से उच्चतर दर पर कर का दायी हो

अधिकारी के समक्ष एक घोषणा करेगा।

(2) ऐसे यान के सम्बन्ध में जिसे इस प्रकार परिवर्तन किया गया हो कि वह भुगतान किये गये कर से उच्चतर दर पर कर या अतिरिक्त कर का दायी हो गया हो, धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर की संगणना निम्न प्रकार की जायेगीः–

"कराधान अधिकारी, इस प्रकार परिवर्तित किये गये यान पर उस अवधि के लिये जो यान के परिवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होकर उस अवधि के अंतिम दिन को समाप्त होती है, जिसके लिये परिवर्तन के पूर्व कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किया जा चुका हो, देय कर या अतिरिक्त कर को धनराशि का निर्धारण धारा 4 और धारा 6 के अनुसार इस प्रकार करेगा मानों कर या अतिरिक्त कर परिवर्तन के दिनांक को प्रथम बार देय हुआ हो। तब वह इस प्रकार निर्धारित कर में से पूर्व में जमा किये प्रत्येक मास के लिये जिसके सम्बन्ध में उसने उच्चतर दर पर कर निर्धारित किया है; परिवहन यान के सम्बन्ध में तिमाही कर अथवा अतिरिक्त कर के एक तिहाई और गैर परिवहन यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के बारहवें भाग के बराबर की धनराशि की कटौती करेगा।"

गया हो, धारा 14 के अधीन संदेय कर की संगणना निम्न प्रकार की जायेगीः–

"कराधान अधिकारी इस प्रकार परिवर्तित किये गये यान पर उस अवधि के लिये जो यान के परिवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होकर उस अवधि के अंतिम दिन को समाप्त होती है, जिसके लिये परिवर्तन के पूर्व कर का भुगतान किया जा चुका हो, देय कर की धनराशि का निर्धारण धारा 4 के अनुसार इस प्रकार करेगा मानों कर परिवर्तन के दिनांक को प्रथम बार देय हुआ हो। वह ऐसे परिवर्तन के कारण प्रोद्भूत ऐसे परिवर्तन की तिथि से कर के भुगतान का दायी होगा।"

नियम 22 का संशोधन

16. उक्त नियमावली में नियम 22 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
22. किसी यान के अनुपयोग की दशा में प्रकिया– (1) जब किसी मोटरयान के स्वामी को एक मास	**22. किसी यान के अनुपयोग की दशा में प्रकिया–** (1) जब किसी मोटर यान के स्वामी को एक मास या अधिक की अवधि के लिये

या अधिक की अवधि के लिये अपने मोटर यान का उपयोग करने से प्रत्याहत करने का अवसर आता है, तो यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र और टोकन यदि कोई हो, कराधान अधिकारी को प्रपत्र–च के भाग एक में घोषणा के साथ अवश्य अभ्यर्पित करना चाहिए, अन्यथा यह समझा जायेगा कि मोटरयान उपयोग में रहा है कराधान अधिकारी प्रपत्र–च के भाग–तीन को पूरा करेगा और इसे दावेदार को वापस करेगा और उसी समय इसके अभ्यर्पण का दिनांक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में प्रविष्ट करेगाः

परन्तु किसी परिवहन यान की स्थिति में इससे सम्बन्धित परमिट और अतिरिक्त कर भुगतान प्रमाण पत्र भी इस उपनियम में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित किया जायेगा। ये दस्तावेज उपनियम (3) में विहित रीति से स्वामी को जब वह यान को पुनः उपयोग में लाना चाहता हो वापस किये जायेंगे।

(2) अनुपयोग की सूचना के साथ दस रूपये की जो कराधान अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, नकद रसीद होगी और स्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कराधान अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) जब मोटरयान का स्वामी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र और टोकन अभ्यर्पित किया हो अपना मोटर यान पुनः उपयोग में लाना चाहता है, वह प्रपत्र च के भाग दो में एक आवेदन पत्र पूर्ण करेगा और हस्ताक्षर करेगा और इसे कराधान अधिकारी को प्रस्तुत अपने मोटर यान का उपयोग करने से प्रत्याहत करने का अवसर आता है, तो परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र तथा परिवहन यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र, परमिट यदि कोई हो, कराधान अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 'च' में अवश्य अभ्यर्पित किया जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि मोटरयान उपयोग में रहा है। अभ्यर्पण की अवधि में यान को अपवादित परिस्थितियों में कराधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय, कराधान अधिकारी की क्षेत्रीय सीमा के बाहर नही खडा रखा जायेगा।

(2) अनुपयोग की सूचना के साथ दो सौ रूपये हल्के मोटर यान और पॉच सौ रूपये हल्के मोटर यान से भिन्न मोटर यान के सम्बन्ध में कराधान अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, नकद रसीद स्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कराधान अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कराधान अधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रपत्र 'च' पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उप नियम (1) में यथा उल्लिखित दस्तावेज संलग्न है, तथा उपनियम (2) में विहित शुल्क जमा है, यान के दस्तावेजों के अभ्यर्पण को स्वीकार करेगा। कराधान अधिकारी प्रपत्र 'च' के भाग दो को पूरा करेगा और इसे प्रपत्र 'च' के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में अभ्यर्पण का दिनांक अंकित करने के पश्चात दावेदार को वापस करेगा।

(4) कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक समय के लिये स्वीकृत नही करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी दो सौ रूपये या पॉच सौ रूपये, जैसी भी स्थिति हो शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा

करेगा। यदि मोटर यान के स्वामी ने उपनियम (1) के अधीन वापस किये गये प्रपत्र च का भाग तीन खो दिया हो, तो उस प्रभाव की एक घोषणा देने पर और पॉच रूपये के भुगतान पर उसे कराधान अधिकारी द्वारा एक नया सादा प्रपत्र च दिया जायेगा और मोटरयान का स्वामी उसके भाग दो को भरेगा। यदि अवधि जिसके लिये कर दिया गया था ऐसे आवेदन पत्र के दिनांक को समाप्त नही हुयी है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र और टोकन अतिरिक्त कर भुगतान प्रमाण पत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में वापसी के दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात दावेदार को वापस कर दिया जायेगा। टोकन के नवीनीकरण के अन्य मामलें में प्रपत्र च के भाग तीन में एक आवेदन पत्र प्रपत्र घ में आवेदन पत्र के साथ होना चाहिए और देय कर यदि कोई हो, के भुगतान पर कराधान अधिकारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र वापस करेगा और नियम 13 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से टोकन जारी करेगा।

(4) ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में जिसे पुनः उपयोग में लाया जाता है, देय कर अथवा अतिरिक्त कर की गणना उस मास के पहले दिन से जिसमें स्वामी को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण वापस किया गया हो, की जायेगी।

तीन कैलेण्डर मास से अधिक अवधि के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढाये बिना एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर मास से अधिक समय के लिये अभ्यर्पित रहता है तो इसे प्रतिसंहृत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

(5) कराधान अधिकारी उपनियम (3) के अधीन यान के अनुपयोग के दस्तावेजों के अभ्यर्पण की स्वीकृति के कम में प्रपत्र "च–1" में अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक कैलेण्डर मास के अंतिम दिन ऐसे रजिस्टर की जॉच करेगा और उसमें की गयी अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

(6) प्रत्येक माह की समाप्ति पर कराधान अधिकारी द्वारा ऐसे यानों की जिनके सम्बन्ध में उपयोग न किये जाने के निमित्त दस्तावेजों के अभ्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गयी है और कैलेण्डर मास के दौरान उक्त रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी है, एक सूची तैयार की जायेगी और उसे उप सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) कराधान अधिकारी अभ्यर्पणाधीन किसी मोटर यान का निरीक्षण स्वयं/या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से कर सकता है और जब कभी यान का निरीक्षण किया जाय तो संक्षेप में उसके रिपोर्ट की प्रविष्टि उपनियम (5) में निदिष्ट रजिस्टर में की जायेगी।

(8) किसी अभ्यर्पित यान का स्वामी कराधान अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अभ्यर्पण की अवधि में विनिर्दिष्ट स्थान से यान को नही हटायेगा। यान के स्वामी द्वारा एक सौ रूपये के शुल्क के साथ आवेदन करने पर संतुष्ट होने के पश्चात कराधान अधिकारी किसी नियत स्थान से यान को हटाने के लिये वाहन स्वामी को अनुमति दे सकता है तथापि किसी यान का स्वामी अप्रत्याशित परिस्थितियों यथा बाढ, आगजनी

या इसी प्रकार के मामलें में यान को हटा सकता है किन्तु वह इस प्रकार हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना कराधान अधिकारी को चौबीस घण्टे के भीतर देगा।

(9) उपनियम (4) के उपबन्ध के अध्यधीन किसी अभ्यर्पित यान, जिसके सम्बन्ध में उपयोग न किये जाने की सूचना की स्वीकृति पहले ही दे दी गयी है, का स्वामी किसी कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिये कर का भुगतान करने का दायी होगा, चाहे अभ्यर्पित किये गये दस्तावेजों का कब्जा कराधान अधिकारी से प्राप्त कर लिया गया हो, या नही।

(10) जब मोटर यान का स्वामी अपने मोटर यान को पुनः उपयोग में लाना चाहता है, वह प्रपत्र ''च–2'' में एक आवेदन करेगा और एक सौ रूपये के शुल्क के साथ इसे कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्पित यान के स्वामी ने उपनियम (1) के अधीन उसे वापस किये गये प्रपत्र 'च' के भाग दो को खो दिया हो, तो वह इस आशय की घोषणा के साथ सूचित करेगा। यदि ऐसी अवधि जिसके लिये कर का भुगतान किया गया हो, ऐसे आवेदन के दिनांक को समाप्त न हुयी हो, तो दस्तावेजों और अभ्यर्पण पंजी में वापसी के दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात अभ्यर्पित किये गये समस्त दस्तावेजों को दावेदार को वापस कर दिया जायेगा। अन्य मामलों में प्रपत्र ''च–2'' में दस्तावेजों की वापसी हेतु किसी आवेदन पत्र के साथ देय कर यदि कोई हो, के भुगतान हेतु प्रपत्र 'घ' में कोई आवेदन अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए, कराधान अधिकारी उक्त रीति से कर के भुगतान के पश्चात दस्तावेजों को वापस कर देगा। किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में अभ्यर्पित दस्तावेजों को वापस करने से पूर्व कराधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यान की दुरूस्तता और परमिट यदि कोई हो, विधिमान्य है और यदि ऐसा नही है तो वह दस्तावेजों को विधिमान्य करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वामी को लिखित अनुदेश देगा।

नियम 22ख का बढाया जाना

17. उक्त नियमावली में, नियम 22 क के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात–

22ख. अस्तित्व विहीन यानों के सम्बन्ध में कर का परिहार करने की प्रकिया– जब किसी यान का स्वामी कराधान अधिकारी को सूचित करें कि उसके यान की चोरी हो गयी है, नष्ट हो गया है, स्थायी रूप से उपयोग के योग्य नही रह गया है या स्थायी रूप से राज्य से बाहर अन्तरित हो गया है या कराधान अधिकारी अन्य किसी कारण से यान के अस्तित्व में न होने के सम्बन्ध में संतुष्ट है तो वह ऐसी जॉच पडताल करने एवं ऐसी प्रकिया, जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश में निर्धारित किया जाय, अपनाने के पश्चात, अभिलेखों में विद्यमान कर जब से यान की चोरी हो गयी है, नष्ट हो गया है, स्थायी रूप से उपयोग के योग्य नही रह गया है या स्थायी रूप से राज्य से बाहर अन्तरित हो गया है, के बकाये के भुगतान से या शास्ति से यान के स्वामी को मुक्त कर सकता है या उसका परिहार कर सकता है:

परन्तु यदि यान, जिसके सम्बन्ध में कर का परिहार किया गया हो, अस्तित्व में पाया जाय तो यथास्थिति बकाया कर, एवं शास्ति को उक्त यान स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकता है जिस प्रकार छूट प्राप्ति या परिहार न किये जाने की स्थिति में वसूल किये जाने योग्य होता।

नियम 24 का संशोधन

18. उक्त नियमावली में, नियम 24 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. कर और अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिये शास्ति– (1) उत्तरांचल में अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परमिटों पर आच्छादित वाहनों द्वारा जहॉ धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मोटर यान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान नही किया जाता है, वहॉ देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त यथास्थिति देय कर या अतिरिक्त कर के 25 प्रतिशत से अनधिक निम्नलिखित दर पर शास्ति भी देय होगी– (एक) जहॉ धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर के भुगतान में विलम्ब हुआ हो, वहॉ शास्ति	**24. कर के विलम्ब से भुगतान के लिये शास्ति–** जहॉ धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर का भुगतान नही किया जाता है, वहॉ प्रति माह देय कर के पॉच प्रतिशत की दर से शास्ति या उसका आंशिक भाग संदेय होगा परन्तु जहॉ स्वामी या संचालक किसी प्राकृतिक आपदा, दंगा, अग्निकाण्ड, दुर्घटना, बीमारी या ऐसे अन्य कारणों से समय से कर जमा न कर सका हो, वहॉ कराधान अधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुये धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित शास्ति के पचहत्तर प्रतिशत तक शास्ति को छोड या कम कर सकेगा। (2) उप नियम (1) में वर्णित स्थिति के रहते हुये भी जहॉ उत्तराखण्ड में अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा

दुपहिया वाहन के सम्बन्ध में प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिये दो रूपये और दुपहिया वाहनों से भिन्न यानों के सम्बन्ध में प्रति सप्ताह उसके किसी भाग के लिये पॉच रूपये होगी।

(दो) जहॉ धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर के भुगतान में विलम्ब हुआ हो, वहॉ शास्ति प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिये पन्द्रह रूपये होगी।

(तीन) जहॉ धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर के भुगतान में विलम्ब हुआ हो, वहॉ शास्ति प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिये बीस रूपये होगी।

(2) उप नियम (1) में वर्णित स्थिति के रहते हुये भी जहॉ उत्तरांचल में अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परमिटों पर आच्छादित यदि किसी वाहन का चालान परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कर या अतिरिक्त कर जमा न करने के अपराध में किया जाता है तो उस दशा में देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि पर 25 प्रतिशत की दर से शास्ति भी देय होगी।

(3) उत्तरांचल से बाहर की अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी/स्थायी परमिट पर वाहनों के उत्तरांचल राज्य में बिना कर दिये संचालित पाये जाने पर या बिना परमिट उत्तरांचल में प्रवेश कर संचालित पाये जाने पर या उत्तरांचल राज्य के अथवा बाहर के किसी भो निजी वाहन/प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित होना पाये जाने पर ऐसे वाहन अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत प्रावधानित कर, जारी किये गये परमिटों पर आच्छादित यदि किसी वाहन का चालान परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कर जमा न करने के अपराध में किया जाता है तो उस दशा में देय कर की धनराशि के बराबर शास्ति भी देय होगी।

(3) उत्तराखण्ड से बाहर की अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी/स्थायी परमिट पर वाहनों के उत्तराखण्ड राज्य में बिना कर दिये संचालित पाये जाने पर या बिना परमिट उत्तराखण्ड में प्रवेश कर संचालित पाये जाने पर या उत्तराखण्ड राज्य के अथवा बाहर के किसी भी निजी वाहन/प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित होना पाये जाने पर ऐसे वाहन अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत प्रावधानित कर, एवं शास्ति के दायी होंगे।

अतिरिक्त कर एवं शास्ति देय होंगे।

नियम 28 का संशोधन

19. उक्त नियमावली में, नियम 28 में–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान मद (नौ) स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया मद रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान मद	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मद
28 (नौ) फार्म से बाजार या कारखानें तक जाने वाली सड़क पर मात्र कृषि उत्पाद के परिवहन के लिये उपयोग में लाये गये ट्रैक्टर ट्रेलर,	28 (नौ) कृषि प्रयोजनों हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं फार्म से बाजार या कारखाने तक जाने वाली सड़क पर मात्र कृषि उत्पाद के परिवहन के लिये प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रेलर

(ख) विद्यमान मद (सात) निकाल दिया जायेगा।

(ग) विद्यमान मद (ग्यारह) निकाल दिया जायेगा।

(घ) विद्यमान मद (ग्यारह) के बाद निम्नानुसार मद (बारह) बढा दिया जायेगा, अर्थात्–

(बारह) अनन्य रूप से शोकाकुल व्यक्तियों सहित शवों को ले जाने वाले मोटरयान।

नियम 29 एवं 30 का निकाला जाना

20. उक्त नियमावली में, नियम 29 एवं 30 को निकाल दिया जायेगा।

प्रपत्रों का संशोधन

21. उक्त नियमावली में,

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र 'क' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र–क (नियम–7 देखिये)	प्रपत्र–क (नियम–7 देखिये)
धारा 13 के अधीन मोटर यान के स्वामी द्वारा घोषणा (इसे पूर्ण करने के पूर्व प्रपत्र के अद्योभाग पर अनुदेशों को देखें)	धारा 13 के अधीन मोटरयान के स्वामी द्वारा घोषणा
भाग–एक (मोटर यान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)	भाग–एक (मोटरयान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा) मैं.....निवासी..... .....एतद्द्वारा उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003

मैं.....
निवासी.....
एतद्द्वारा उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा–13 के अधीन नीचे वर्णित मोटर यान के सम्बन्ध में टोकन जारी करने के लिये और मोटर यान अधिनियम के अधीन उक्त मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

1–स्वामी का पूरा नाम.....
2–पूरा पता.....
3–यान का ट्रेड नाम.....
(यथा फोर्ड सेवरलेट आदि)
4– निर्माण का वर्ष.....
5– अश्व शक्ति.....
6–सिलेन्डरों की संख्या.....
7–इंजन संख्या.....
8–बॉडी का प्रकार और रंग (उदाहरणार्थ टूरिंग या सैलून)
9–प्रत्येक टायर की चौडाई और वर्ग.....
10–लदान रहित भार.....
11–मोटरसाइकिल और मोटरकारों से भिन्न सभी यानों के मामलों में भार क्षमता.....
12–केवल भारी मोटरयान के मामलों में–
(एक) ऐक्सिल का भार.....
(दो) प्रत्येक पहिये का व्यास.....
13–(क) निजी यान के रूप में, या...
(ख) किराये के लिये चलाये जा रहे परिवहन यान के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा यान.....
14–यान का प्रकार
(क) निजी यान की स्थिति में:–
साथ साइडकार
(एक) बाईसाइकिल.....
बिना ट्रेलर
साथ साइडकार
(दो) तिपहिया साइकिल.....
बिना ट्रेलर

की धारा 13 के अधीन नीचे वर्णित मोटरयान के सम्बन्ध में भुगतान प्रमाण पत्र जारी करने के लिये और मोटरयान अधिनियम के अधीन उक्त मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

1– स्वामी का पूरा नाम.....
.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति.....
.....
2–स्थायी पता.....
.....
3–अस्थायी पता (यदि कोई हो).....
.....
4–निर्माण का वर्ष.....
.....
5–इंजन संख्या या बैटरी चालित यान के सम्बन्ध में मोटर संख्या.....
.....
6–चेसिस संख्या.....
.....
7–यान की श्रेणी.....
(यदि मोटरसाइकिल है तो गियर सहित या रहित)
8–यान का प्रकार–
(क) गैर परिवहन यान (मोटर साइकिल/मोटरकार/ओमनी बस/ट्रैक्टर ट्रेलर/शैक्षणिक संस्थान की बस/निजी सेवायान/निर्माण उपस्कर यान/विशेष रूप से निर्मित यान आदि).....
.....
9–लदान रहित भार.....
.....
10–लदान सहित भार.....
.....
11–सीट क्षमता (चालक सहित).....
.....
12–इंजन क्षमता (सी0सी0)
13–प्रयुक्त ईंधन.....
14–बॉडी की किस्म और रंग.....
15–केवल परिवहन मोटरयान के सम्बन्ध में–
(क) अगली धुरी.....
.....

(तीन) एक मात्र अशक्तों द्वारा उपयोग में लाया गया यान;
(चार) चालक को सम्मिलित करते हुये एक मात्र सात व्यक्तियों से अनधिक सवारी के उपयोग में लाया गया मोटर यान (अर्थात, साधारण निजी मोटर कार);
(पॉच) शव वाहिका;
(छः) अन्य निजी यान (अर्थात मोटर लारी, स्टीम या मोटर ट्रैक्टर या मोटर बस कुल मिलाकर सात सीटों से अधिक सीट वाली मोटर कार)।
(ख) किराये पर चल रहे किसी परिवहन यान के मामलें मेंः–
(एक) केवल यात्रियों की सवारी के लिये यान;
(दो) यान, जो आंशिक रूप से यात्रियों की सवारी के लिये और आंशिक रूप से माल के परिवहन के लिये निर्मित किया गया हो;
(तीन) केवल माल के परिवहन के लिये यान
(चार) आनुकल्पिक रूप से यात्रियों की सवारी या माल के प्रवहण के लिये यान
15–परिवहन यान के केवल किराये पर चलने के मामलें मेंः–
(क) चालक सीट और परिचर या कन्डक्टर सीट, यदि कोई हो, को छोडकर यात्री सीटों की अधिकतम संख्या.....
(ख) सौ के तौल में अधिकतम प्राधिकृत भार.....
(ग) मार्ग का वर्ग, जिसके लिये परमिट जारी किया गया है
(अर्थात, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग) किसी टैक्सी कैब के मामलें में, क्षेत्र जिसके भीतर यान चलाया जायेगा।

(ख) पिछली धुरी.....
.....
(ग) कोई अन्य धुरी.....
.....
(घ) टेंडेम धुरी.....
.....
(ड) प्रत्येक धुरी पर लगे टायर की संख्या वर्णन और आकार.....
.....
16–मोटर वाहन है–
(क) नया वाहन.....
.....
(ख) पूर्व में सेना का वाहन.....
.....
(ग) आयातित वाहन.....
.....
(घ) दूसरे राज्य से आब्रजनिक वाहन.....
.....
17–यान के बीमा की वैधता (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
18–कर में यदि छूट प्राप्त है तो उल्लेख करें..
.....
(प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न करें)
19–परमिट यदि कोई हो, की वैधता.....
.....
(प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न करें)
मैं नियम.....के अधीन कर के भुगतान से छूट का दावा करता हूँ और अपने दावे का सबूत भी संलग्न कर रहा हूँ।
एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि ऊपर वर्णित नाम और पता तथा अन्य विवरण सत्य है।
दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर
(जो लागू न हो काट दें)

भाग–दो
(कराधान अधिकार द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

16–मैं नियम.....के अधीन कर के भुगतान से छूट का दावा करता हूँ और अपने दावे का सबूत भी इससे संलग्न करता हूँ।

17–मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर वर्णित मेरे नाम और पता और मोटरयान की विशिष्टियों का विवरण सत्य है।

18–(केवल निजी मोटर यान के मामलों में)

मैं उपरोक्त यान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आधारों पर घटी हुयी दर से कर के भुगतान का दावा करता हूँ:–

.....

19–(केवल किराये पर चल रहे परिवहन यान के मामलें में)

मैं उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली यथा उत्तरांचल में लागू के अधीन उसमें वर्णित किराये पर चल रहे परिवहन यान के सम्बन्ध में मुझे जारी किये गये परमिट को संलग्न कर यह घोषणा करता हूँ।

दिनांक..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–दो

(कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित मोटर यान नियम..... के अधीन कर से मुक्त है और यह कि टोकन संख्या.....बुक संख्या... दिनांक.....जारी किया गया है।

या

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर घोषणा के अनुसार उसमें वर्णित मोटरयान पर वार्षिक कर..... रूपये देय है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त यान के सम्बन्ध में समाप्त हो रही अवधि.....20.....के लिये रू0.....की धनराशि का भुगतान प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित मोटरयान नियम.....के अधीन कर से मुक्त है और यह कि कर जमा प्रमाण पत्र..... .....दिनांक.....को जारी किया गया है।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा के अनुसार उसमें वर्णित मोटरयान पर कर रू0.....संदेय है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त यान के सम्बन्ध में समाप्त हो रही अवधि.....के लिये रू0.....की धनराशि का भुगतान कर के रूप में किया जा चुका है और यह कि उपरोक्त घोषणा की शुद्धता के अध्याधीन आवेदक को कर जमा प्रमाण पत्र.....दिनांक.....को जारी किया जा चुका है।

दिनांक..... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर सम्भाग/उपसम्भाग

भाग–तीन

(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें वर्णित मोटरयान को मोटर यान अधिनियम, 1998 एवं उसके अधीन जारी नियमों के अध्याधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है और कि.....तक एक वैध रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है और यह कि यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या की प्रविष्टि कर जमा प्रमाण पत्र में की जा चुकी हैं।

यान का रजिस्ट्रीकृत संख्या.....

.....

दिनांक..... रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर संभाग/उप संभाग....

कर के रूप में किया जा चुका है और यह कि उपरोक्त घोषणा की शुद्धता के अधीन यह अनुज्ञप्ति..... 20.....तक वैध है।

आवेदक को एक टोकन संख्या..... दिनांक.....जारी किया जा चुका है।

दिनांक..... कराधान अधिकारी
का हस्ताक्षर
संभाग / उपसंभाग

भाग–तीन
(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें वर्णित मोटर यान को उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली यथा उत्तरांचल में लागू के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है और कि.....20.....तक एक वैध रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है और यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या की प्रविष्टि टोकन में की जा चुकी है।

यान की विशिष्टियां.....
रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी का नाम....
पता.....
यान का रजिस्ट्रीकृत संख्या.....
दिनांक..... रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी का हस्ताक्षर
संभाग / उपसंभाग

अनुदेश

मद 9. साधारण खुली प्रकार की निजी कार की बॉडी 'टूरिंग और ढकी हुयी बॉडी सैलून' के रूप में जानी जाती है।

यदि बॉडी का रंग किसी समय पर बदला जाता है तो ऐसे बदलने के तथ्य को तब सूचित किया जायेगा, जब अनुज्ञप्ति की आगे नवीकृत कराया जाय।

मद 10. यहॉ 'वायवीय' 'लचीला'

या 'अलचीला' अन्तः स्थापित करें। 'वायवीय का तात्पर्य दबाव में भरी गयी हवा रखने से है।

'लचीला का तात्पर्य इंण्डिया रबर का बना किन्तु वायवीय नही और एक्सिल की रिम के आगे कम से कम तीन चौथाई इंच बाहर निकले हुये, अर्थात सामान्य रूप से ठोस टायर से है,

'अलचीला का तात्पर्य न तो वायवीय और न लचीला, अर्थात सामान्य रूप से लौह या इस्तात के टायर से है,

चौडाई.....अर्थात, 20'' गुणा 5''

मद 11. लदान रहित वजन निर्माता के विनिर्देश के अनुसार या जहॉ धर्मकांटा उपलब्ध हो, निश्चित वजन की प्रविष्टि की जायेगी। यदि आवेदक लदान रहित वजन से अनभिज्ञ है तो इस मद को कराधान अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिये खाली छोड दिया जायेगा।

''लदान रहित वजन'' तौल के दसवें, भाग में चाहिए सिवाय ऐसी बाइसाइकिल की स्थिति में जिनका लदान रहित वजन 4 सौ–भार से अधिक हो, जबकि यह कि0ग्रा0 में होना चाहिए।

मद 12. भार क्षमता का तात्पर्य ऐसा भार जिसको ले जाने के लिये निर्माताओं के विनिर्देश अनुसार यान को निर्मित किया गया हो,

मोटर कार का तात्पर्य किसी मोटर यान से है जो व्यक्तियों की सवारी के लिये डिजाइन किया गया है और उपयोग किया जाता है और जिसमें ड्राइवर को सम्मिलित करते हुये सात से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।

मद 13. किसी भारी मोटर यान का तात्पर्य ऐसे यान से है जिसका लदान रहित वजन दो टन से

अधिक है, किन्तु इसमें ऐसे कोई निजी मोटर कार जो सात व्यक्तियों से अनधिक की सवारी के लिये निर्मित की गयी हो, सम्मिलित नही है।

मद 14, 15 और 16. इतने अधिक दिये गये विवरण जो वर्णित मोटर यान पर लागू नही हो काट दें।

मद 16. मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किये गये परमिट को निर्दिष्ट कर पूरा किया जायेगा, जहॉ किराये के लिये चलाया जा रहा कोई परिवहन यान आंशिक रूप से माल और आंशिक रूप से यात्रियों को ले जाने के लिये प्राधिकृत है, उप मद (ख) के पूर्व शब्द या काट दिया जाय। जहॉ यह या तो यात्रियों का या माल का पूरा भार ले जाने के लिये प्राधिकृत है, केवल शब्द ''वृद्धि'' काट दिया जाय।

मद 17. यदि दावा नही किया गया, काट दें।

चेतावनी

ऐसी घोषणा का परिदान जो सत्य नही है, उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र 'ख' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान प्रपत्र**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र ख **(नियम 8(1) और 20 देखिये)** धारा 13 के अधीन अतिरिक्त घोषणा	**प्रपत्र ख** **(नियम 8(1) और 20 देखिये)** धारा 13 के अधीन अतिरिक्त घोषणा
भाग एक (आवेदक द्वारा पूरा किया जायेगा और परिवहन यान की दशा में दो प्रतियों में भरा जायेगा)	भाग–एक (आवेदक द्वारा पूरा किया जायेगा और परिवहन यान की दशा में दो प्रतियों में भरा जायेगा)
मैं.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने इसके साथ संलग्न किये गये रजिस्ट्रीकरण	मैं..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने इसके साथ संलग्न किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण

प्रमाण पत्र और टोकन से आच्छादित अपने मोटर यान संख्या.. .....में.....को निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया है:–

परिवर्तनों का विवरण.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

यहॉ परिवर्तन का दिनांक लिख दिया जाय।

भाग–दो

(कराधान अधिकारी द्वारा कर और अतिरिक्त कर के लिये अलग–अलग भरा जायेगा)

अनुच्छेद जिसके अधीन यान के परिवर्तन के पूर्व कर/अतिरिक्त कर दिया गया था.....अवधि.....से.. .....तक दिये कर/अतिरिक्त कर की धनराशि.....रूपये

अनुच्छेद जिसके अधीन यान पर परिवर्तित रूप में कर/अतिरिक्त कर देय है.....

परिवर्तित रूप में देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि..... .....से.....तक.....रूपये रूपया .....प्रति मास की दर से.....पूर्ण महीनों के लिये कटौती.....रूपये. .....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये देय कर/अतिरिक्त कर की कुल धनराशि.....रूपये. .....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये कर/अतिरिक्त कर के अन्तर के रूप में देय धनराशि..... रूपये रसीद संख्या.....द्वारा प्राप्त दिनांक.....को प्राप्त किये।

अभ्यर्थी को जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, टोकन सं0.....पुस्तकसंख्या.....और अतिरिक्त कर भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र को शुद्ध और पूरा किया गया।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

पत्र एवं कर भुगतान प्रमाण पत्र से आच्छादित अपने मोटर यान संख्या.....में.....को निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया है।

परिवर्तनों का विवरण.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

यहॉ परिवर्तन का दिनांक रख दिया जाय।

भाग–दो

(कराधान अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

अधिसूचना.....जिसके अधीन यान के परिवर्तन के पूर्व कर .....अवधि..... से.....तक जमा किया गया था।

अधिसूचना.....जिसके अधीन कर की धनराशि.....रूपये यान पर परिवर्तित रूप में कर संदेय है।

परिवर्तित रूप में देय कर की धनराशि.....से.. .....तक.....रूपये.....प्रति मास

की दर से.....पूर्ण महीनों के लिये कटौती... .....रूपये

.....को समाप्त होने वाले अवधि के लिये देय कर की कुल धनराशि.....रूपये .....को समाप्त होने वाले अवधि के लिये कर के अन्तर के रूप में देय धनराशि..... .रूपये रसीद संख्या.....द्वारा दिनांक..... ...को प्राप्त किये।

आवेदक को जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कर भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र को शुद्ध और पूरा किया गया।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

दिनांक.....

कराधान अधिकारी
संभाग/उपसंभाग..

(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये प्रपत्र ''ग–एक'' और ''ग–दो'' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्रपत्र	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र ग–एक और ग–दो	प्रपत्र–ग
नियम 12 देखिये	(नियम 9–क(क) देखिये)
टोकन और प्रतिपर्ण टोकन	अभिग्रहीत वाहन की नीलामी से पूर्व वाहन स्वामी को नोटिस
प्रपत्र ग–एक	
प्रतिपर्ण टोकन संख्या.....	
उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003..... तिमाही.....को टोकन संख्या.....जारी किया गया। अनुसूची एक के अनुच्छेद..... के अधीन अवधि.....से..... के लिये.....रूपये कर का भुगतान किया गया। मोटर यान की रजिस्ट्रीकृत संख्या..... दिनांक..... कराधान अधिकारी। संभाग/उपसंभाग	1. यान के स्वामी का नाम..... 2. पता..... उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक.....को थाना.....में अभिग्रहीत वाहन संख्या.....के सम्बन्ध में.....से.....अवधि तक देय कर रू0..... ....शास्ति रू0.....कुल रूपया.....आपके द्वारा अभी तक जमा नही किया गया है। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन यदि देय पूर्वोक्त कर और शास्ति का भुगतान यान के अभिग्रहण के दिनांक से 45 दिनों के भीतर नही किया जाता है तो ऐसे मोटर यान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्रीत किया जा सकता है।
प्रपत्र ग–दो	
वृत्तीय आकार में	
उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार	
अधिनियम, 2003	
टोकन संख्या.....	
पुस्तक संख्या.....	
अनुच्छेद संख्या.....	
रूपये.....	
वैध.....	
तक.....को जारी किया गया।	
कराधान अधिकारी	अतः एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उक्त देय धनराशि जमा कर दें/भुगतान प्रमाण पत्र यदि पहले हो जमा हो, प्रस्तुत कर दें। यदि उक्त विहित अवधि में देय धनराशि का भुगतान नही किया जाता है/भुगतान प्रमाण पत्र यदि कोई हो प्रस्तुत नही किया जाता है तो ऊपर उल्लिखित अभिग्रहीत यान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है।
संभाग/उप संभाग	दिनांक..... कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
	सम्भाग/उप सम्भाग
	वित्त पोषक, (यदि कोई हो) को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति
	1. वित्त पोषक का नाम.....
	2. पता.....

दिनांक..... कराधान अधिकारी
का हस्ताक्षर
सम्भाग / उप सम्भाग.....

(घ) नीचे स्तम्भ–1 दिये गये विद्यमान प्रपत्र 'घ' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्रपत्र	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र–घ	**प्रपत्र–घ**
(नियम 13 देखिये)	**(नियम 12 देखिये)**
उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003	उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003
टोकन के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	कर के भुगतान हेतु आवेदन–पत्र
भाग–एक	भाग–एक
(मोटरयान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)	(मोटरयान के स्वामी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)
1. मैं.....का निवासी एतद्द्वारा अपने.....की संख्या के रूप में रजिस्ट्रीकृत मोटरयान के सम्बन्ध में उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन सम्भागीय परिवहन / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी.....द्वारा जारी किये गये टोकन.....20..... .....तक नवीकरण करने के लिये आवेदन करता हूँ।	1. मैं.....एतद्द्वारा अपने रजिस्ट्रीकृत मोटरयान संख्या.....के सम्बन्ध में उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी..... से.....तक कर का भुगतान करने हेतु आवेदन करता हूँ।
2. मै इसके साथ उक्त मोटर यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र परिशीलन करने और मुझे वापस करने के लिये संलग्न करता हूँ।	2. मैं इसके साथ उक्त मोटरयान हेतु जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं कर प्रमाण पत्र परिशीलन करने और मुझे वापस करने के लिये संलग्न करता हूँ।
3. इसके अतिरिक्त मैं इसके साथ... 20.....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये जारी किया गया टोकन संख्या.....अभ्यर्पित करता हूँ।	दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर।	भाग–दो
भाग–दो	(कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)
(कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)	प्रमाणित किया जाता है कि ..... रूपये की राशि देय है और मोटरयान संख्या... .....के सम्बन्ध में कर की किस्त के रूप में उसका भुगतान किया गया है।
	दिनांक.....कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
	सम्भाग / उप सम्भाग।
	भाग–तीन
	(संभाग / उप संभाग, जिसमें उपर्युक्त कर का भुगतान किया गया है से भिन्न संभाग / उप संभाग में रजिस्ट्रीकृत यान की स्थिति में कराधान अधिकारी द्वारा पूर्ण किया

प्रमाणित किया जाता है कि.....
.....
(1) .....रूपये की राशि देय है और मोटर यान संख्या.....
..के सम्बन्ध में कर की किश्त के रूप में उसका भुगतान किया गया है।
(2) टोकन संख्या.....दिनांक.....
.....जो.....20.....
को समाप्त होने वाली अवधि के लिये वैध है, जारी किया गया।

दिनांक.....

कराधान अधिकारी
के हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग

भाग–तीन

(संभाग जिसमें उपर्युक्त कर दिया गया है, से भिन्न संभाग में रजिस्ट्रीकृत यान की स्थिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा)
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी.....संभाग संख्या.....स्थान.....
दिनांक.....
प्रतिलिपि– संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी.....
संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

कराधान अधिकारी
के हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग

(ङ) प्रपत्र 'घ' के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र घ–1
(नियम 12 देखिये)
कर भुगतान प्रमाण–पत्र (धारा 4 के अधीन)
(मासिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....माडल.....

जायेगा)
कार्यालय संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी.....
संभाग/उपसंभाग.....पत्र संख्या.....
दिनांक.....
प्रतिलिपि– संभागीय परिवहन अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी.....
संभाग/उप संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

दिनांक.....

कराधान अधिकारी
के हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग

2. पंजीयन की तिथि.....
3. स्वामी का नाम.....
4. पता.....
5. मार्ग.....
6. मार्ग की लम्बाई (कि0मी में).....
7. कैलेण्डर माह में फेरों की संख्या.....
8. एक माह में आच्छादित दूरी (कि0मी0 में).....
9. बैठने की क्षमता (चालक को छोडकर).....
10. एक कैलेण्डर माह के कर की धनराशि.....
11. मासिक किश्त की धनराशि.....
12. देय धनराशि यदि हो.....
13. भुगतान का विवरण वर्ष.....

क्रमांक	कैलेण्डर माह का नाम	भुगतान की गयी राशि	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	जनवरी				
2	फरवरी				
3	मार्च				
4	अप्रैल				
5	मई				
6	जून				
7	जुलाई				
8	अगस्त				
9	सितम्बर				
10	अक्टूबर				
11	नवम्बर				
12	दिसम्बर				

दिनांक.....

कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
संभाग / उप संभाग.....

प्रपत्र–घ–2
नियम 12 देखिये
(कर भुगतान प्रमाण–पत्र धारा 4 के अधीन)
(त्रैमासिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....माडल.....
2. पंजीयन की तिथि.....
3. स्वामी का नाम.....
4. पता.....
5. सकल यान भार.....
6. लदान रहित भार.....
7. बैठने की क्षमता (चालक सहित).....
8. प्रति त्रैमास कर की दर रूपये में.....

वर्ष.....

कमांक	त्रैमास	भुगतान की गयी राशि (रूपये में)	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम त्रैमास माह.. .....से ..... तक				
2	द्वितीय त्रैमास माह.....से..... .तक				
3	तृतीय त्रैमास माह. .....से..... तक				
4	चतुर्थ त्रैमास माह. .....से..... तक				

दिनांक.....

कराधान अधिकारी के हस्ताक्षर
संभाग / उप संभाग.....

प्रपत्र–घ–3
नियम 12 देखिये
(कर भुगतान प्रमाण पत्र धारा 4 के अधीन)
(वार्षिक कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....माडल.....
2. पंजीयन की तिथि.....
3. स्वामी का नाम.....
4. पता.....
5. सकल यान भार.....
6. लदान रहित भार.....
7. बैठने की क्षमता (चालक सहित).....
8. कर की प्रति वर्ष दर रूपये में.....

वर्ष.....

कमांक	वर्ष	भुगतान की गयी राशि	रसीद संख्या	दिनांक	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष..... ..माह.....से..... .....तक				
2	वर्ष..... ..माह.....से.....				

	.....तक				
3	वर्ष..... ..माह.....से..... .....तक				
4	वर्ष..... ..माह.....से..... .....तक				

दिनांक.....

कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
संभाग / उप संभाग.....

प्रपत्र–घ–4
(नियम 12 देखिये)
कर भुगतान प्रमाण पत्र (धारा 4 के अधीन)
(एकबारीय कर भुगतान के लिये)

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....माडल.....
2. पंजीयन की तिथि.....
3. स्वामी का नाम.....
4. पता.....
5. सकल यान भार.....
6. लदान रहित भार.....
7. बैठने की क्षमता (चालक सहित).....
8. एक बारीय कर की दर रूपये में.....
9. भुगतान की गयी राशि रूपये में.....

रसीद संख्या.....दिनांक.....

दिनांक.....

कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
संभाग / उप संभाग.....

(च) प्रपत्र 'ङ' के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र–ङ 1
यान के देयों के सम्बन्ध में नोटिस
(नियम 18(3) देखिये)

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम.....
पूरा पता.....

यान संख्या.....का देय कर.....के पश्चात जमा नही किया गया है। उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अधीन कर के रूप में.....रूपये की धनराशि देय है और उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली 2003 के नियम 24 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति के रूप में.....रूपये की धनराशि देय है।

अतः एतद्द्वारा आपको नाटिस दी जाती है कि देय धनराशि का भुगतान इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत कर दें/भुगतान प्रमाण पत्र (यदि पहले ही सदत्त हो) प्रस्तुत कर दें। यदि उक्त विहित समय के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान नही कर दिया जाता है/भुगतान प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत नही किया जाता है तो उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

दिनांक.....

कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
संभाग/उप संभाग.....

प्रतिलिपि– वित्त पोषक (यदि कोई हो) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
वित्त पोषक का नाम.....
पता.....
दिनांक.....

कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
सम्भाग/उपसम्भाग.....

(छ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र 'च' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान प्रपत्र
प्रपत्र च
(नियम 22(1) और (3) देखिये)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और टोकनों का अभ्यर्पण
भाग एक
(मोटर यान के स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभ्यर्पित करते समय पूर्ण किया जायेगा)

मैं.....निवासी.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने अपने मोटर यान जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या.....है को उपयोग से वापस कर लिया है/वापस करने का इरादा है और नीचे विनिर्दिष्ट कारण से मेरा उक्त वाहन का..... .....से प्रारम्भ होने वाली एक मास से अन्यून अवधि के लिये पुनः उपयोग करने का इरादा नही है।

अनुपयोग के कारण विस्तार में.....
.....

मैं उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त मोटर यान निम्नलिखित स्थान पर रखूँगा।
गैरेज का स्थान.....(यहाँ उस स्थान या गैरेज का पूरा पता जहाँ मोटर यान रखा गया है या इसके अनुपयोग की अवधि के

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र च
(नियम 22(1) देखिये)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अभ्यर्पण के लिये आवेदन पत्र
भाग एक
(मोटर यान स्वामी द्वारा अभ्यर्पण के समय पूर्ण किया जायेगा)

सेवा में,
कराधान अधिकारी,
.....

(1) रजिस्ट्रीकरण स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में).
.....
(2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का डाक का पता.....
.....
.....
(3) अभ्यर्पित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
.....
(4) वह दिनांक जब तक कर जमा है.....
.....
(5) उपयोग न किये जाने की संभावित अवधि
दिनांक.....से.....तक
(6) उस स्थान का डाक का पता जहाँ अभ्यर्प
अवधि के दौरान मोटरयान रखा जायेगा.....

दौरान रखा जायेगा, लिखें)

मैं अग्रतर घोषणा करता हूँ कि कराधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उक्त वाहन उपरोक्त उल्लिखित स्थान से नही हटाऊंगा, सिवाय बाढ, आगजनी या इसी प्रकार के अन्य कारण, जैसे किसी अकल्पित घटना की स्थिति के और जिसके मामलें में उसकी सूचना कराधान अधिकारी को ऐसे हटाने के चौबीस घंटे के भीतर भेजी जायेगी।

मैं एतद्द्वारा यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र और परिवहन यान की स्थिति में परमिट को सम्मिलित करते हुये टोकन भी अभ्यर्पित करता हूँ।

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

भाग दो

(मोटरयान के स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र वापस करने के लिये आवेदन करते समय पूर्ण किया जायेगा)

मैं.....एतद्द्वारा अपने मोटर यान जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.....है और जो..... .....को अभ्यर्पित किया गया था के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की वापसी के लिये आवेदन करता हूँ।

इसके साथ प्रपत्र (घ) में टोकन के नवीकरण के लिये एक आवेदन पत्र भी संलग्न है।

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

यदि आवश्यक न हो तो काट दें।

भाग तीन

(कराधान अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को इस भाग को वापस करते समय पूर्ण किया जायेगा)

.....से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या..... .....और टोकन संख्या.....पुस्तक संख्या.....20.....से प्रारम्भ होने वाली और.....20.....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये वैध है प्राप्त हुआ।

.....

.....

(7) मोटर यान का उपयोग न किये जाने के कारण (विस्तार में).....

.....

मैं उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली के 2003 की नियम 22 के उपनियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ–

(1) यथा स्थिति दौ सौ रूपये या पॉच सौ रूपये की रसीद का कमांक.....दिनांक..... .....

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(3) कर भुगतान प्रमाण पत्र

(4) स्वस्थता प्रमाण पत्र

(5) परमिट (यदि कोई हो)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि किसी अकल्पित घटना यथा बाढ, आगजनी या इसी प्रकार के अन्य कारण के सिवाय और जिस मामलें में उसके सम्बन्ध में सूचना कराधान अधिकारी को इस प्रकार हटाये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर भेजी जायेगी, कराधान अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उक्त यान को उपरोक्त उल्लिखित स्थान से नही हटाऊंगा। मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान.....

.....

दिनांक..... स्वामी का हस्ताक्षर

भाग दो

अभ्यर्पण की स्वीकृति

अभ्यर्पण रजिस्टर का कमांक.....दिनांक..... ....श्री.....से यान जिसकी संख्या.....है के.....से.....तक की अवधि के लिये उपयोग न किये जाने सम्बन्धी सूचना प्रपत्र च में दिनांक..... ...को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुयी–

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(2) कर भुगतान प्रमाण पत्र

(3) स्वस्थता प्रमाण पत्र

(4) परमिट (यदि कोई हो)

दिनांक..... कराधान अधिकारी
के हस्ताक्षर

दिनांक..... कराधान अधिकारी
का हस्ताक्षर
संभाग / उपसंभाग.....

(ज) प्रपच 'च' के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढा दिये जायेंगे, अर्थात–

प्रपत्र च–1
(नियम 22(5) देखिये)
अभ्यर्पण रजिस्टर

कमांक	अभ्यर्पण का दिनांक	रजिस्ट्रीकरण संख्या	यान का प्रकार	स्वामी का नाम एवं पता	अभ्यर्पण की अवधि से तक
1	2	3	4	5	6

वह स्थान जहां यान रखा जायेगा	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर	निरीक्षण रिपोर्ट का सार	स्थान (यदि कोई हो) परिवर्तन की अनुमति	दस्तावेजों की वापसी का दिनांक	कराधान अधिकारी का हस्ताक्षर
7	8	9	10	11	12

प्रपत्र च–2
अभ्यर्पित दस्तावेजों की वापसी हेतु आवेदन पत्र
(नियम 22(10) देखिये)

मैं.....एतद्द्वारा अपने मोटरयान संख्या.....जिसे दिनांक..... ..को अभ्यर्पित किया गया था के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की वापसी के लिये आवेदन करता हूँ।

इसके साथ प्रपत्र घ में कर का भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र भी संलग्न हैं

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

यदि आवश्यक न हो तो काट दें

(झ) विधमान प्रपत्र 'ज' तथा प्रपत्र 'झ' निकाल दिये जायेंगे।

(ञ) नीचे स्तभ–1 में दिये गये विधमान प्रपत्र ञ के स्थान पर स्तभ–2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रपत्र प्रपत्र ञ (नियम 17(1) देखिये)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र प्रपत्र ञ (नियम 17 (1) देखिये)
1. संचालक का नाम ..... 2. मार्ग का नाम, जिसके लिये परमिट स्वीकृत किया गया	1. संचालक का नाम ..... 2. मार्ग का नाम, जिसके लिये परमिट स्वीकृत किया गया.....

3. मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में) .....
4. एक तिमाही में एकल फेरों की संख्या .....

5. एक तिमाही में तय किये गये किलोमीटर की कुल संख्या .....
6. दैनिक समय–सारणी

प्रस्तान का समय	स्टेशन से	पहुंचने का समय	स्टेशन को

संचालक के हस्ताक्षर

3. मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में) .....
4. एक माह में एकल फेरों की संख्या .....

5. एक माह में तय किये गये किलोमीटर की कुल संख्या .....
6. दैनिक समय–सारणी

प्रस्तान का समय	स्टेशन से	पहुंचने का समय	स्टेशन को

संचालक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ञ–1
(नियम 17 (5) देखिये)

1. संचालक का नाम .....
2. मार्ग का नाम, जिसके लिये परमिट स्वीकृत किया गया.....
3. मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में) .....
4. दैनिक समय–सारणी

दिनांक	प्रस्तान का समय	स्टेशन से	पहुंचने का समय	स्टेशन को	तय की गई कुल दूरी

संचालक के हस्ताक्षर

(ट) विद्यमान अनुसूची को निकाल दिया जायगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

टिप्पणी–

मूल नियमावली परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–403/परि0/2003 दिनांक 29–07–2003 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। तदपश्चात उसमें निम्नलिखित संशोधन हुये है:–

1– उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–253/ix/323–06/2007 दिनांक 30–04–2007।

2– उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–811/ix-1/323/2012 दिनांक 08–10–2012।